

नगरीय विकास विभाग

दिनांक 09.04.2008

परिपत्र क्रमांक एफ.5(2)नविवि/3/99 पार्श्व

विषय :- कृषि भूमि से वाणिज्यिक/आवासीय व संस्थानिक प्रयोजनार्थ नियमन/
भू-रूप संस्करण तथा वाह्य विकास शुल्क नियमन दरों के संबंध में।
जन साधारण को राहत देने के प्रयोजनार्थ राजस्थान के स्थानीय निकायों में कृषि भूमि के
आवासीय, वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन/भू-रूप संस्करण एवं वाह्य विकास शुल्क की नियमन दरें
निम्नानुसार तुल्य प्रभाव से लागू की जाती हैं :-

संशोधित दरें :-

उपयोग	1 लाख से अधिक आवादी वाले समस्त नगरीय निकाय (नगर विकास न्यास एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर)	50 हजार से 1 लाख की आवादी वाले समस्त नगरीय निकाय	50 हजार से कम आवादी वाले समस्त नगरीय निकाय
कृषि से वाणिज्यिक	240/- रु. प्रति वर्गगज	160/- रु. प्रति वर्गगज	120/- रु. प्रति वर्गगज
कृषि से आवासीय	60/- रु. प्रति वर्गगज	40/- रु. प्रति वर्गगज	30/- रु. प्रति वर्गगज
व संस्थानिक			
वाह्य विकास शुल्क	50/- रु. प्रति वर्गगज	50/- रु. प्रति वर्गगज	50/- रु. प्रति वर्गगज

उप शासन सचिव-प्रथम